आर.सी.एम.एस. नम्बर 2021/54

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलासमलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः—साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

अंन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :— 31/2021 (भादरसिंह बनाम शेरसिंह वगैरह)

निर्णय दिनांक :—23.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 23.08.2022 द्वारा पारित निर्णयानुसार ग्राम मुखा का बास पटवार हल्का भूदा का बास की सरहद में भूमि हाल ख0न0 148 रकबा 3.48 है0, ख0न0 150 रकबा 0.03 है0, ख0न0 151 रकबा 4.36 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 7.87 है0 में वादी के चाचा लिछमणसिंह के हिस्से की वादग्रस्त 1.77 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 23.08.2022 को जारी की गई।

(साधुराम जाट) 23/8/22
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 31/2021

भादरसिंह पुत्र बलवंतसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू

वादी

बनाम

1. शेरसिंह दतक पुत्र हरनाथसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
2. चन्द्रकवंर पुत्री हरनाथसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
3. धापादेवी पुत्री हरनाथसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू (दौराने दावा मृतक)
   - 3/1. बिशनसिंह पुत्र दुर्जनसिंह जाति राजपूत निवासी घाघुं तहसील व जिला चुरू।
   - 3/2. रघुवीरसिंह पुत्र दुर्जनसिंह जाति राजपूत निवासी घाघुं तहसील व जिला चुरू।
   - 3/3. राजु पुत्री दुर्जनसिंह पत्नी विजयसिंह जाति राजपूत निवासी पहाड़सर तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
   - 3/4. रूकमणी पुत्री दुर्जनसिंह पत्नी सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी कोलिण्डा तहसील व जिला सीकर।
4. सुगनी पुत्री हरनाथसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
5. शीशपालसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
6. विशालसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर।

प्रतिवादीगण

वकील वादी – श्री जयसिंह गौड़

वकील प्रतिवादीगण संख्या 3/1 लगायत 3/4 – श्री संदीप कालेर

वकील प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 – श्री रामावतार सोनी

दावा बाबत धोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

निर्णय दिनांक 23.08.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम मुखा का बास पटवार हल्का भूदा का बास की सरहद में भूमि गत ख0न0 163/1 रकबा 13 बीघा 15 बिश्वा, ख0न0 163/1/2 रकबा 3 बिश्वा, ख0न0 163/3 रकबा 17 बीघा 5 बिश्वा जिसके हाल ख0न0 148 रकबा 3.48 है0, ख0न0 150 रकबा 0.03 है0, ख0न0 151 रकबा 4.36 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 7.87 है0 अवस्थित है। जिसमें वादी व वादी के चाचा लिछमणसिंह व प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 6 का अलग–अलग हिस्सा बना हुआ है। जिसमें वादी भादरसिंह का हिस्सा 1.96 है0 व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 0.655 है0 व प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1.74 है0 व प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 1.74 है0 एवं वादी के चाचा लिछमणसिंह का हिस्सा 1.77 है0 है। वादी व वादी के चाचा लिछमणसिंह संयुक्त हिन्दु परिवार में एकसाथ रहते थे वादी के चाचा लिछमणसिंह अविवाहित थे। वादी अपनी व अपने चाचा लिछमणसिंह की काश्त की भूमि पर कब्जा काश्त थे। वादी व वादी के चाचा संयुक्त परिवार के सदस्य होने से अपने चाचा का भरण पोषण किया व मृत्यु उपरान्त पिण्डदान किया। वादी के चाचा लिछमणसिंह का देहान्त दिनांक 15.01.2010 को हो गया था जिसके उपरान्त उसकी काश्त की भूमि 1.77 है0 के बारे में परिवार, मसज व रिश्तेदारी के लोग दिनांक 28.01.2010 को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का पारिवारिक समझौता हुआ था। समझौता के मुताबिक प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा 1.77 है0 भूमि के अपने 1/2 हिस्सा भूमि की एवज में प्रतिफल प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उक्त 1.77 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का कोई हिस्सा नहीं रहा इसलिये वादी उक्त सम्पूर्ण भूमि 1.77 है0 भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा अपने नाम करवाने का अधिकारी है। अंत में वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि 1.77 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 का दौराने दावा देहान्त होने पर उसके वारिसान को बतौर पक्षकार संयोजन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3/1 लगायत 3/4 व 4 की ओर से इकबाली जवाब पेश किया गया तथा वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहीर किया। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 बाद तामिल अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो

यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्धि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी प्रतिवादीगण 5 व 6 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाब देही पूर्ण होने पर वादी की ओर से साक्ष्य में अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश किया जाकर दस्तावेजात पर प्रदर्श 1 लगायत 12 डाले गये। प्रतिवादी की ओर से इकबाली जवाब पेश होने से साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की जाकर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने वादपत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया तथा वादग्रस्त भूमि 1.77 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये इकबाली जवाब पर गोर फरमाया। पक्षकारान द्वारा इकबाली जवाब पेश कर वादग्रस्त 1.77 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहीर किया है। तमाम साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण के इकबाली जवाब के मध्यनजर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम मुखा का बास पटवार हल्का भूदा का बास की सरहद में भूमि हाल ख0न0 148 रकबा 3.48 है0, ख0न0 150 रकबा 0.03 है0, ख0न0 151 रकबा 4.36 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 7.87 है0 में वादी के चाचा लिछमणसिंह के हिस्से की वादग्रस्त 1.77 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/8/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर